संख्या-19/2024/942/23-2-24/001-6(सा0)/20

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त,2024**

विषय:- जनपद रायबरेली में बछरावां कस्बा में लखनऊ प्रयागराज मार्ग एन0एच0-30 के कि0मी0-53 एवं बांदा बहराईच मार्ग राज्य मार्ग संख्या-13 (कि0मी0 175) के मध्य बाईपास के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-9763/सीई-एचक्यू 1/लैण्ड ए0सी0क्यू0/एल0के0ओ0/2024-25, दिनांक 05.08.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रायबरेली में बछरावां कस्बा में लखनऊ प्रयागराज मार्ग एन0एच0-30 के कि0मी0-53 एवं बांदा बहराईच मार्ग राज्य मार्ग संख्या-13 (कि0मी0 175) के मध्य बाईपास के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में वित्तीय वर्ष-2024-25 में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054-04-337-13-20-60 के योजनान्तर्गत चालू कार्यों की मद में तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 165.610 लाख (रूपये एक करोड़ पैसठ लाख इकसठ हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी तथा विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(2)- स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानो, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5)- लोक निर्माण विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6)- प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7)- समस्त धनराशि का आहरण-वितरण संबंधी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/ शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 165.610 लाख (रूपये एक करोड़ पैसठ लाख इकसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1320-मार्ग एवं लघु सेतु के चालू कार्यों के लिए भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)-60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
लाल धीरेन्द्र राव
विशेष सचिव।

संख्या-19/2024/942(1)/23-2-24/001-6(सा0)/20 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, रायबरेली।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मध्य- क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रायबरेली।
9- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
13- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
लाल धीरेन्द्र राव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।